

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बाहर से ही किया जावे न
कि किसी अन्य प्राविधिकी के बाहर से।
सम्बद्धित विषय पर चाहे पूर्ण नहीं पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे विस्तर से संविधा हो।



ग्राम : शूलवर्ती
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :-

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/380

दिनांक: 21/08/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध आवश्यक कालेज ऑफ आर्ट्स एण्ड मैनेजमेंट, ग्राम-धनेली रोड, मुहर, ग्वालियर (094251-21218) को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/लंबालित श्री.कॉर्न.प्रथम-प्लेन एवं कन्फ्युटर एल्फीकेशन-अति.पि., बी.सी.ए.-प्रथम, बी.सी.ए.-प्रथम, बी.ए.-प्रथम-आ०पा०, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं समाज शास्त्र कक्षा-पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय अस्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिवियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- 1. प्रो. कै.एस. बाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- 2. प्रो. आर.के. तिवारी, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- 3. प्रो. आर.ए. शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- 4. प्रो. एस.के. गुप्ता, उच्चाचार्य, कन्फ्युटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- 5. प्रो. जी.बी.के.एस. प्रसाद, आचार्य, बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, घोटाला गाड़ी, वाहित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रौंचा परिसर एवं पाठ्यक्रम/अडिनेंस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्रावधान-शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विर्णवाकुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस् में विश्वविद्यालय कायातिय में विरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस् में पूर्ण हो जाएगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जावे गाली अस्थायी सम्बद्धता में विलब्द नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के विरेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गतवर्ष के 45 दिवस् में Report प्राप्त न होने की विवादित माना जाएगा कि महाविद्यालय का विरीक्षण बही हुआ है। वियमाकुसार अवृद्धांश जगा कराकर बवीन समिति गवित की जावेगी। जिसे 15 दिवस् में विरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देना अव्याप्तिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुत्यिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / ई.ए. मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. ग्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, शोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संठायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

242